कार्यालय प्राचार्य शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय पचोर,
जिला राजगढ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

Email-Id- polypachor@gmail.com

क्रमांक/शापामप/स्था/2024/581 /पचोर दिनांक 8/07/2024

विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, तकनीकी शिक्षा मध्यपद्रेश के पत्र कमांक/स्था/3/डी/2024/741 भोपाल दिनांक 10/06/2024 के निर्देशानुसार इस संस्था हेतु निःशक्तजन के लिये चिन्हांकित निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने के लिए निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्यपद्रेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकृत दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ दिनांक 22/07/2024 को प्रातः11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होवें। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः-

स.क.	विज्ञापित पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	श्रेणी	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	15500-49000	01	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित	कक्षा 10 वी साइंस विषय के साथ उत्तीर्ण

आवश्यक शर्तेः-

1 आवेदक मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिये।

2 आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

3 अन्य शासकीय विभाग में कार्यरत् शासकीय कर्मचारी द्वारा उसके नियुक्ति अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4 आवेदक द्वारा समस्त प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रामणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतियों के 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नही कियार जावेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीट्ल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5 पासपोर्ट आकार के 02 नवीनतम रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

6 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी 3-11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नबम्वर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

7 यदि आवेदक की 02 से अधिक जीवित संताने है जिसमें 01 का जन्म 26/01/2001 या उसके पश्चात् हुआ है,तो ऐसे आवेदक शासन के निर्देशानुसार नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

8 कोई उम्मीदवार जिसने शासन द्वारा विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो वे नियुक्ति के पात्र नही होंगे। महिला उम्मीदवार के लिये विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पुरूष उम्मीदवार के लिये 21 वर्ष है।

9 चयन के मामले में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विज्ञापित के पदों पर नियुक्ति करने अथवा न करने का अधिकार संस्था प्रमुख के पास सुरक्षित होगा।

10 म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक/सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियुक्त 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर परिपत्र अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत,द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाईपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

11 आवेदक को नियमानुसार जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता/निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता /निःशक्तता का प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-8-3/2013/आ.प्र./एक,भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मूेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा। जांच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पायी जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी। किसी भी अन्य प्रकार के प्रमाण-पत्र को स्वीकार नही किया जावेगा।

12 उम्मीदवार को संबंधित पद की उपयुक्तता के लिये अधीक्षक भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा विकलांगता सह उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही नियुक्ति की जावेगी।

13 पदों,शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रारूप दी गई लिंक https://drive.google.com/drive/folders/1SoEbGnKJCm8lcUD8M9ms-uZjN7Zyxh_b को वेब ब्राउजर पर टाईप करके प्राप्त की जा सकती है। तथा नीचे दिये गये क्यूआर कोड को स्केन कर भी प्राप्त कर सकते है।

प्र.प्राचार्य,
शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय पचोर

PRINCIPAL
Govt. Polytechnic College
Pachore Dist. Rajgarh